राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सं0– 4550

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सुपौल।

पटना दिनांक– 20.11.26

विषय :– वाद संख्या– 16/2026 द्रोपती देवी बनाम फूलो देवी में सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक–18.11.2026 को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के पारित आदेश को संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित वाद की सुनवाई की तिथि **25.11.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** निर्धारित की गई है। नोटिस की प्रति संलग्न।

अनुरोध है कि श्रीमती फूलो देवी को इसके साथ संलग्न नोटिस का तामिला 24 घंटे के अन्दर निश्चित रूप से कराते हुए तामिला प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाय तथा दिनांक **25.11.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** सुनवाई में उपस्थित होने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल अपरिहार्य स्थिति में वरीय उपसमाहर्त्ता से अन्यून को जाँच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–16 / 2026

द्रोपती देवी बनाम् फूलो देवी।

19.11.2026

इस वाद की सुनवाई **दिनांक–18.11.2026** को हुई, जिसमें वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नवल किशोर प्रसाद उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री गयानन्द यादव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल उपस्थित।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके विरूद्ध पंचायत आम निर्वाचन–2021 में नामांकन के शपथ–पत्र में आपराधिक मामलो को छुपाकर निर्वाचित होने का आरोप लगाया गया है। उनके विरूद्ध पीपरा थाना काण्ड संख्या–114 / 2020, दिनांक–04.05.2020 को प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उक्त मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, षष्ट्म, सुपौल, पीपरा थाना काण्ड संख्या–114 / 2020, G.R. No.738/2020 में उनके मुवक्किल के विरूद्ध दिनांक–23.08.2021 को संज्ञान लिया गया है, जो उनके नामांकन के शपथ–पत्र समर्पित करने के उपरांत का है।

जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को 01 सप्ताह के अन्दर न्यायालय द्वारा लिये गये संज्ञान के सत्यापित प्रति तथा आयोग के S.O.P. के अनुसार विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सुपौल को प्रेषित कर दी जाए।

तदनुसार सुनवाई की **अगली तिथि–25.11.2026(बुधवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे** सुनिश्चित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
19.11.2026

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सं0– 4549

प्रेषित,

श्रीमती फूलो देवी, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य,
प्र0नि0क्षे0सं0–18, पंचायत–महेशपुर,
पति–स्व0 ब्रह्मदेव पासवान, जिला–सुपौल।

पटना, दिनांक– 20.11.26

विषय :– वाद संख्या– 16/2026 द्रोपती देवी बनाम फूलो देवी में सुनवाई के संबंध में।

चूँ वॅजरिय नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि विषयांकित वाद की सुनवाई की तिथि **25.11.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** निर्धारित की गई है।

उक्त निर्धारित तिथि को सुनवाई के समय आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम (केवल एक व्यक्ति) से उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखें अन्यथा उपलब्ध कागजातों/अभिलेखों के आधार पर इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

20/11/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सं0–
प्रेषित,

श्रीमती फूलो देवी, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य,
प्र0नि0क्षे0सं0–18, पंचायत–महेशपुर,
पति–स्व0 ब्रह्मदेव पासवान, जिला–सुपौल।

पटना, दिनांक–

विषय :– वाद संख्या– 16/2026 द्रोपती देवी बनाम फूलो देवी में सुनवाई के संबंध में।

चूँ वॅजरिय नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि विषयांकित वाद की सुनवाई की तिथि **25.11.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** निर्धारित की गई है।

उक्त निर्धारित तिथि को सुनवाई के समय आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम (केवल एक व्यक्ति) से उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखें अन्यथा उपलब्ध कागजातों/अभिलेखों के आधार पर इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

ह0/–
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांकः– 4549 पटना, दिनांक 20.11.26

प्रतिलिपि श्रीमती द्रोपती देवी, पति–श्री महेन्द्र पाल, साकिन–जीवछपुर, वार्ड सं0–07, थाना–पिपरा, जिला–सुपौल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दिनांक **25.11.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** सुनवाई हेतु अपने पक्ष से संबंधित लिखित बयान के साथ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केवल एक व्यक्ति अनुमान्य उपस्थित रहें अन्यथा उपलब्ध कागजातों/अभिलेखों के आधार पर इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001 Phone: 2506326, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847) E-mail: secbihar@gmail.com

इस पत्र के सत्यापन हेतु क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करें।